जनपद बिजनौर

प्रेसनोट–रिजर्व पुलिस लाइन, दिनॉक 08.03.2026

रिजर्व पुलिस लाइन्स, जनपद बिजनौर में चिकित्सा गतिविधि कैम्प/ 08 मार्च अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया।

वामा सारथी उ0प्र0 पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में वामा सारथी अध्यक्षा श्रीमती रिया झा पत्नी श्री अभिषेक पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर के निर्देशन में आज दिनांकः 08.03.2026 को रिजर्व पुलिस लाइन्स, जनपद बिजनौर में आयुष विभाग की सहभागिता से आयोजित वामा वेलनेस होम्योपैथिक चिकित्सा परामर्श एवं दवा वितरण कैम्प में (**बदलते मौसम में बीमारियों से बचाव/तत्काल उपचार/जागरूकता बढाना, संक्रमण आदि**) से बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी प्रदान करते हुये उसके उपचार और दवाइयां उपलब्ध कराई गयी तथा 08 मार्च अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें पुलिस लाइन्स, बिजनौर के आवासीय कालोनी में निवासित समस्त महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय द्वारा बताया गया कि भारत की संस्कृति में नारी को हमेशा से शक्ति, करूणा, और सृजन का प्रतीक माना गया है, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि **यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता** अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वही देवताओं का वास होता है। कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवारजनों (कुल 304) ने कैम्प का लाभ उठाया।

उक्त कार्यक्रम कें दौरान डॉ0 कृष्ण गोपाल सिंह (पुलिस अधीक्षक नगर/लाइन्स, बिजनौर), श्री देवेन्द्र सिंह सिकरवार, प्रतिसार निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाइन्स जनपद बिजनौर,उ0नि0स0पु0 श्री अशोक तोमर, उ0नि0स0पु0 श्री मुसव्विर अली, डॉ0 बिश्वेन्द्रनाथ द्विवेदी, डॉ0 श्वेता सिंह, डॉ0 श्वेता कुमारी, फार्मासिस्ट श्री विकास कुमार एवं श्री प्रमोद सिंह, वामा सारथी सदस्या महिला मुख्य आरक्षी रूबी राठी तथा सभी वामा वालेन्टियर्स उपस्थित रहें।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नांगल **दिनाँक 08.03.2026**

थाना नांगल पुलिस ने अभियुक्त को 35 पव्वे देशी शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिंनाक 08.03.2026 को थाना नांगल पुलिस द्वारा अभियुक्त अश्वनी कुमार उर्फ गौतम पुत्र भूप सिंह निवासी ग्राम बालावाली जहानाबाद थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को 35 पव्वे देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना नांगल पर मु0अ0सं0 26/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.अश्वनी कुमार उर्फ गौतम पुत्र भूप सिंह निवासी ग्राम बालावाली जहानाबाद थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरणः-

35 पव्वे देशी शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.का0 1211 संजय सैनी थाना नांगल जनपद बिजनौर।

2.का0 396 रूपक थाना नांगल जनपद बिजनौर।

3.का0 299 सोनू थाना नांगल जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना धामपुर **दिनांक- 08.03.2026**

थाना धामपुर पुलिस ने 01 अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना धामपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त रामधन उर्फ रामू पुत्र राम निवासी मौ0 जोशियान पहाडी दरवाजा थाना धामपुर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना धामपुर पर मु0अ0स0 73/26 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

रामधन उर्फ रामू पुत्र राम निवासी मौ0 जोशियान पहाडी दरवाजा थाना धामपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरणः-

01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1-उ0नि0 श्री ब्रहमपाल गिरी थाना धामपुर जनपद बिजनौर

2. हे0का0 578 अमजद थाना धामपुर जनपद बिजनौर

3. का0 2574 अमन कुमार थाना धामपुर बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेसनोट-थाना स्योहारा **दिनांक -08/03/2026**

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 485/2025 धारा 352/351(3) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.12.2025 को वादी श्री फैसल वारसी पुत्र श्री मजाहिर हुसैन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद स्योहारा निवासी मोहल्ला मुस्लिम चौधरियांन कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त शानू पुत्र सलव्वा निवासी मोहल्ला भजडीयो सराय मिल्कियान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वादी के प्रति गाली-गलौज करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी।

प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 485/2025 धारा 352/351(3) बीएनएस व धारा 67 आई0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 08.03.2026 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त शानू उर्फ शाहनवाज पुत्र सलाउद्दीन निवासी मौ0 मिल्कियान भजेडियो सराय कस्वा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम व पता:-

शानू उर्फ शाहनवाज पुत्र सलाउद्दीन निवासी मौ0 मिल्कियान भजेडियो सराय कस्वा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री अरुण कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

3.हे0का0 बृजपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेसनोट-थाना बढापुर **दिनाँक -08/03/2026**

थाना बढापुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के दो वांछित अभियुक्त मय घटना में प्रयुक्त सामान के गिरफ्तार

घटना एंव कार्य़वाही का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-06.03.2026 को वादी श्री सुशील पुत्र सुलेख निवासी ग्राम पाड़ली थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना बढापुर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 28.03.2025 को उसकी पुत्री का विवाह अमित कुमार पुत्र विजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम शाहअलीपुर कोटरा थाना बढापुर जनपद बिजनौर के साथ हुआ था। तभी से उसकी पुत्री के ससुराल वाले उसे अत्याधिक दहेज की मांग कर प्रताडित किया करते थे। दिनांक 04.03.2026 को अभियुक्त अमित कुमार उपरोक् व उसके परिजनों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी पुत्री के साथ मारपीट करते हुए उसकी हत्या कर दी।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बढापुर पुलिस पर मु0अ0सं0 धारा 85/115(2)/80(2) बीएनएस व धारा 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम अमित कुमार उपरोक्त सहित 04 नफर पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 08.03.2026 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण विजेन्द्र सिंह पुत्र हरनाम सिंह व अमित कुमार पुत्र विजेन्द्र सिंह निवासीगण ग्राम शाहलीपुर कोटरा थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त दरांती व रस्सी के गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्तगण को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता-

1.विजेन्द्र सिंह पुत्र हरनाम सिंह निवासी ग्राम शाहअलीपुर कोटरा थाना बढापुर जनपद बिजनौर

2.अमित कुमार पुत्र विजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम शाहअलीपुर कोटरा थाना बढापुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त विजेन्द्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0-20/2026 धारा 85/115(2)/80(2) बीएनएस व धारा 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधि0 थाना बढ़ापुर, बिजनौर

2.मु0अ0सं0-54/21 धारा 498ए/323/504/506 भादवि व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 थाना बढ़ापुर,बिजनौर

अभियुक्त अमित कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 20/2026 धारा 85/115(2)/80(2) बीएनएस व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 थाना बढ़ापुर, बिजनौर

2.मु0अ0सं0 54/21 धारा 498(ए)/323/504/506 भादवि व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 थाना बढ़ापुर, बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर
2. हे0का0 354 हरेन्द्र मलिक थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
3. हे0का0 812 सुमित कुमार थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
4. का0 2257 पीयूष कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेसनोट-थाना स्योहारा **दिनांक -08/03/2026**

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 65/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/126(2)/118(1) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.03.2026 को वादी श्री मौ० साबिर पुत्र अब्दुल वहीद निवासी ग्राम मधुपुरा फैजुल्लापुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर के द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.फैजान पुत्र आसिफ 2.इमरान पुत्र आसिफ 3.अनवर पुत्र आसिफ 4.आसिफ निवासीगण उपरोक्त द्वारा वादी के भाई के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गयी तथा जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से वार कर कर जान से मारने की धमकी दी गयी।

तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0स0 65/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/126(2)/118(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 06.03.2026 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त आसिफ पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम मधुपुरा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

आसिफ पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम मधुपुरा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री अरुण कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

2.हे0का0 360 बृजपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर